

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 907 / 14
 संस्थापन दिनांक:-24 / 11 / 14
 फाईलिंग नं. 233504003392014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

राजू पिता रामदास बिंजवे
 उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम आवरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323(दो काउंट में), 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.11.2014 को समय शाम 04:00 बजे फरियादी के खेत के पास आवरिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सरिता बिंजवे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सरिता व राजेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी रामरती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.2014 को शाम करीब 4 बजे फरियादी का पति खेत में पानी ओल रहा था तभी अभियुक्त राजू ने पाईप उठाकर फेंक दिया। फरियादी द्वारा अभियुक्त से पाईप फेंकने का कारण पूछने पर अभियुक्त ने उसे मां बहन मादरचोद छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी तथा लकड़ी से मारपीट की जिससे उसे पीठ, दांहिने पैर की पिंढली पर चोट आयी। फरियादी के पति द्वारा बीच बचाव करने पर अभियुक्त ने उसे पटक दिया तथा उसे छाती पर हाथ मुक्कों से मारा तथा लकड़ी से दांहिने पैर की पिंढली पर मारा जिससे उसके पति को छाती, गली, पिंढली पर चोट आयी। अभियुक्त ने उन्हें जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 943/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी सरिता व राजेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 सरिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे मादरचोद, चूत की छिनाल की गंदी गंदी

गालियां दी थी। इस संबंध में साक्षी राजेश (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी को चूत की मादरचोद की गाली दी थी।

6 साक्षी/फरियादी सरिता (अ.सा.-1) एवं राजेश (अ.सा.-2) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता।

7 विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो। फलतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

9 सरिता (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ बांस की लकड़ी से मारपीट किया था जिससे उसे पीठ, दांहिने पैर में चोट आयी थी। राजेश (अ.सा.-2) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्त ने लकड़ी से उसकी पत्नी को मारा था जिससे उसे कमर, पीठ में चोट आयी थी और जब उसने बीच बचाव किया तो उसे भी दांहिने पैर में मारा था।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 12.11.2014 को सीएचसी

आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सरिता का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ के दाहिनी तरफ 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था तथा आहत को दाहिने पैर में दर्द था तथा आहत राजेश का परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने पैर पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द तथा आहत की गर्दन के दाहिने तरफ 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच पायी थी। साक्षी ने आहतगण को आयी उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श प्री-3 एवं प्रदर्श पी-4 को प्रमाणित भी किया है।

11 रहमतसिंह (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 12.11.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराये जाने पर अपराध क्र. 943/14 में (प्रदर्श प्री-1) की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना प्रकट किया है।

12 डी.एस. पठारिया (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14.11.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 943/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 18.11.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

13 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा फरियादी एवं आहत साक्षी ने भी अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाये।

14 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सरिता (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह और उसके पति दोनों खेत पर थे। उसका पति राजेश पानी ओल रहा था, तभी उसका जेठ/अभियुक्त राजू आया और पानी का पाईप फेंक दिया। तब उसके पति राजेश ने अभियुक्त से पूछा कि पाईप क्यों फेंका, इसी बात पर से अभियुक्त ने बांस की लकड़ी से उसके साथ मारपीट की और जब उसके पति राजेश ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने उसके साथ भी मारपीट की। राजेश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह और उसकी पत्नी सरिता खेत पर थे। मौके पर उसका बड़ा भाई राजू आया और पानी का पाईप निकाल दिया। पाईप की बात पर से ही अभियुक्त ने उसकी पत्नी को लकड़ी से मारा और जब उसने बीच बचाव किया तो उसे भी दाहिने पैर में

मारा।

15 सरिता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना शाम 4 बजे की है। यह भी बताया है कि खेत के कुएं में लगा ट्यूबवेल अभियुक्त और उसका शामिलाली है जिससे दोनों पानी लेते हैं। पाईप के पैसे उसने अभियुक्त से मांगे थे परंतु नहीं दिये। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि यदि अभियुक्त पाईप के पैसे दे देता तो वह उसकी रिपोर्ट नहीं करती। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त ने मारा था इसलिए रिपोर्ट की थी। पुनः से प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह घटना स्थल पर गिर गयी थी। स्वतः में कहा कि अभियुक्त ने लकड़ी से मारा था। राजेश (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि जब तक अभियुक्त राजू की पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी तब तक अभियुक्त से उनके संबंध अच्छे थे। अभियुक्त राजू ने कभी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी और यह भी सही होना बताया है कि उसने अभियुक्त के खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की।

16 राजेश (अ.सा.-2) के कथनों में विरोधाभास है परंतु साक्षी सरिता (अ.सा.-1) अपने कथनों पर पूर्णतः स्थिर है तथा उसकी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। घटना दिनांक 12.11.2014 की शाम 04:00 बजे की है। घटना की रिपोर्ट घटना के तत्काल पश्चात शाम 05:00 बजे लेख करा दी गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी प्रकट नहीं हो रहा है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिता एवं आहत राजेश की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

17 अभियुक्त के द्वारा मामूली से विवाद पर से फरियादी सरिता एवं आहत राजेश के साथ लकड़ी से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सरिता बिंजवे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामरती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया

किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सरिता व राजेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323(दो काउंट में) भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ लकड़ी से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

22 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी आपस में रिश्तेदार है एवं घटना में फरियादी एवं आहत को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323(दो काउंट में) भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये प्रत्येक काउंट में न्यायालय उठने तक के

कारावास एवं 400/- कुल 800/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 चूंकि प्रकरण में फरियादी एवं आहत पति-पत्नी है। अतः धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत सरिता पति राजेश निवासी आवरिया, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)